पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-V

दिनांक- 04.05.2026

मिशन शक्ति 5.0-मड़ियांव में शक्ति का संदेश, सुरक्षा व्यवस्था से कराया अवगत।

- **थाना मड़ियांव टीम द्वारा मानोदय विद्यालय थाना क्षेत्र मड़ियांव में छात्राओं और उनके परिजनों को पिंक बूथ कर्मियों द्वारा साइबर अपराध से बचाव के बारे में विस्तृत जानकारी देकर किया गया जागरूक।**

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में **श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक, 01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित *"मिशन शक्ति"* अभियान महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त पहल है। यह अभियान महिलाओं को उनकी शक्ति का एहसास कराता है और समाज में समानता, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित करता है।

आयोजन स्थल

- उपनिरीक्षक मो0 रफत उल्लाह, थाना मड़ियांव लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला आरक्षी दिव्या शुक्ला, थाना मड़ियांव, लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला आरक्षी अंकिता राय, थाना मड़ियांव, लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला आरक्षी रुबी वाजपेई,थाना मड़ियांव, लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला आरक्षी संस्कृति,थाना मड़ियांव,लखनऊ कमिश्नरेट।
- मानोदय विद्यालय थाना क्षेत्र मड़ियांव में

प्रतिभाग-

- उपनिरीक्षक मो0 रफत उल्लाह, थाना मड़ियांव लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला आरक्षी दिव्या शुक्ला, थाना मड़ियांव, लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला आरक्षी अंकिता राय, थाना मड़ियांव, लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला आरक्षी रुबी वाजपेई,थाना मड़ियांव, लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला आरक्षी संस्कृति,थाना मड़ियांव,लखनऊ कमिश्नरेट।
- मानोदय विद्यालय थाना क्षेत्र मड़ियांव में छात्राओं और उनके परिजनों को किया गया जागरूक

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत आज दिनांक 04.05.2026 को मानोदय विद्यालय थाना क्षेत्र मड़ियांव में छात्राओं और उनके परिजनों को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक करते हुए बच्चों एवं महिला से सम्बंधित पुलिस हेल्पलाइन नंबर जैसे 112, 1090,181,1076 एवं अन्य महत्वपूर्ण नंबरो के साथ ही महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी, साइबर क्राइम, यूपी कॉप एप, आदि के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। एवं साइबर क्राइम से बचाव के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी दी गई।

यह कार्यक्रम लखनऊ पुलिस की उस सतत प्रयासशीलता का एक हिस्सा है, जिसके तहत एक सुरक्षित और संवेदनशील समाज के निर्माण के लिए कार्य किया जा रहा है।

मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम

मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चियों को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सहायता सेवाओं के प्रति संपूर्ण रूप से सजग और सशक्त बनाना था। इस कार्यक्रम के माध्यम से:

1. महिलाओं को उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों की पहचान और रोकथाम के बारे में जानकारी दी गई।
2. महिला संबंधी सरकारी योजनाओं तथा हेल्पलाइन नंबरों (जैसे 1090, 181, 112, 1930 आदि) से अवगत कराया गया, ताकि आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त की जा सके।
3. बच्चियों को बैड टच व गुड टच के प्रति सचेत किया गया और उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के गुर सिखाए गए।
4. महिला हेल्प डेस्क व मिशन शक्ति केंद्रों की भूमिका से परिचित कराकर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया।
5. आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास का संदेश देकर महिलाओं और बालिकाओं को स्वावलंबी बनने की दिशा में प्रोत्साहित किया गया।

इस प्रकार, यह कार्यक्रम महिला सुरक्षा, कानूनी जागरूकता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु एक सार्थक प्रयास साबित हुआ।

निष्कर्ष:

यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इसके माध्यम से न केवल महिलाओं और बच्चियों को उनके अधिकारों व सुरक्षा उपायों की जानकारी मिली, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी मिली। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु इस प्रकार के आयोजन भविष्य में भी जारी रखने की आवश्यकता है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-IV

दिनांक- 04.05.2026

मिशन शक्ति 5.0 मिशन शक्ति का प्रण लेकर, हर छात्र-छात्रा को समझाओ, साइबर खतरों से बचाव क्या है, ये सुरक्षा सूत्र सबको सिखाओ।

थाना मलिहाबाद द्वारा पुरवा मलिहाबाद में महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति के तहत किया जागरूक। छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने और उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव की दी गई जानकारी।

डॉ.आंबेडकर ज्ञान पब्लिक स्कूल माधवपुर मलिहाबाद में "मिशन शक्ति 5.0" अभियान का सफल आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत सभी छात्र-छात्राओं ने साइबर सुरक्षा का प्रण लिया और डिजिटल दुनिया में सतर्क रहने के महत्व को समझा। छात्राओं को साइबर खतरों से बचाव के व्यावहारिक उपाय सिखाए गए, जिससे उन्हें ऑनलाइन सुरक्षा के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त हुआ। यह कार्यक्रम नई पीढ़ी को सशक्त बनाने और डिजिटल युग में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में **श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक, 01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोजक/आयोजन स्थल

- महिला एस0आई सुश्री मनीषा पाठक थाना मलिहाबाद लखनऊ कमिश्नरेट
- म0का0 ललिता सिंह थाना मलिहाबाद लखनऊ कमिश्नरेट
- म0का0 अंकिता सिंह थाना मलिहाबाद लखनऊ कमिश्नरेट
- पुरवा मलिहाबाद थाना मलिहाबाद लखनऊ

प्रतिभाग-

- महिला एस0आई सुश्री मनीषा पाठक थाना मलिहाबाद लखनऊ कमिश्नरेट
- म0का0 ललिता सिंह थाना मलिहाबाद लखनऊ कमिश्नरेट
- पुरवा मलिहाबाद थाना मलिहाबाद लखनऊ क्षेत्र में जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को किया गया जागरुक

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत आज दिनांक 04.05.2026 को पुरवा मलिहाबाद थाना मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा केंद्र/ मिशन शक्ति केंद्र व साइबर अपराधों के बारे में बताया गया, महिला संबधी योजनाओं की जानकारी दी गई और पंपलेट वितरित किए गए, सभी को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1090 (महिला पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्डलाइन), 1076 (टोल-फ्री सिटीजन कॉल सेंटर), 101 (अग्निशमन), 102 (एम्बुलेंस), 108 (आपातकालीन सेवा), 112 (ईआरएसएस) और 1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन) के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके अलावा, उन्हें यूपी-100 (यूपी कोप) एवं आदि नंबरों के बारे में जानकारी दी गयी एवं बच्चो को गुड टच एवं बैड टच के बारे में विस्तार से दी गयी जानकारी के साथ- साथ महिला सुरक्षा केंद्र/ मिशन शक्ति केंद्र व साइबर अपराधों के बारे में की जानकारी दी गई तथा हेल्प लाइन नंबरों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई और साइबर फ्रॉड से बचने की हिदायत के साथ- साथ महिला हेल्प डेस्क , मिशन शक्ति केंद्र के कार्यो के बारे में जानकारी दी गई।

स्कूल में उपस्थित बच्चो को निम्न बिंदुओं पर जागरूक किया गया:

1. हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी

* 1090 (वुमेन पावर लाइन)
* 112 (आपातकालीन सेवा)
* 181 (महिला सहायता हेल्पलाइन)

2. साइबर क्राइम से सुरक्षा के उपाय

* सोशल मीडिया पर गोपनीयता बनाए रखना
* साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी

बच्चो को बताया गया कि किसी भी प्रकार की संकट की स्थिति में वे तुरंत इन नंबरों पर संपर्क करें अथवा मैसेज के माध्यम से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

उद्देश्य:

यह पहल निश्चित रूप से "बच्चो में महिला सुरक्षा, सम्मान और साइबर अपराधो के प्रति सजगता" के लक्ष्य की दिशा में एक मजबूत कदम है। ऐसे प्रयासों को और अधिक व लगातार जारी रखने की आवश्यकता है, ताकि एक सुरक्षित और न्यायसंगत समाज का निर्माण हो सके।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-III

मिशन शक्ति 5.0-"जागरूकता जगाएं, मिशन शक्ति से जुड़ें, सुरक्षित और सशक्त समाज बनाएं।"

थाना बंथरा पुलिस टीम द्वारा ग्राम अंधपुरदेव में जाकर महिलाओं/बच्चों एवं पुरुषों को मिशन शक्ति के तहत साइबर अपराध, हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर अपराध व अपराध से बचाव को लेकर किया गया जागरूक।

दिनांक- 03.05.2026

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में **श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

थाना बंथरा द्वारा मिशन शक्ति के तहत एक महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें राहगीर महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया। इस दौरान महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई और साथ ही उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव के उपायों से अवगत कराया गया। यह पहला सकारात्मक कदम है जो समाज में सुरक्षा और जागरूकता का संदेश फैला रहा है।

आयोजक/ अयोजन स्थल

- महिला आरक्षी लक्ष्मी, थाना बंथरा, लखनऊ कमिश्नरेट
- आरक्षी अजय कुमार, थाना बंथरा, लखनऊ कमिश्नरेट
- ग्राम अंधपुरदेव थाना बंथरा लखनऊ में

प्रतिभाग-

- महिला आरक्षी लक्ष्मी, थाना बंथरा, लखनऊ कमिश्नरेट
- आरक्षी अजय कुमार, थाना बंथरा, लखनऊ कमिश्नरेट
- हरौनी कस्बा चौकी हरौनी थाना बंथरा लखनऊ में भ्रमणशील होकर महिलाओं एवं छात्राओं को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक **03.05.2026** को थाना बंथरा, लखनऊ के ग्राम अंधपुरदेव अंतर्गत भ्रमण कर **मिशन शक्ति** अभियान के तहत व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान टीम ने महिलाओं और बालिकाओं के बीच पहुंचकर उन्हें **महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और साइबर अपराधों** से बचाव के प्रति सचेत किया।

किसी भी आकस्मिक परिस्थिति या सहायता हेतु महिलाओं को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे **1090 (वूमेन पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 112 (आपातकालीन सेवा) और 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन)** के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्हें ये नंबर नोट भी कराए गए। इसके साथ ही, महिलाओं को पिंक बूथ की कार्यप्रणाली के बारे में जागरूक किया गया ताकि वे बिना किसी संकोच के अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। साइबर सुरक्षा के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिससे वे डिजिटल फ्रॉड से सुरक्षित रह सकें और निडर होकर समाज में अपनी भूमिका निभा सकें।।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत स्थापित पिंक बूथ का मुख्य उद्देश्य-

महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेषज्ञ, संवेदनशील और अनुकूल सहायता केंद्र प्रदान करना है, जहाँ वे आसानी से पहुँच सकें और बिना किसी झिझक या भय के अपनी समस्याओं व शिकायतों को दर्ज करा सकें। इसे विशेष रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए डिज़ाइन किया गया है:

1. महिला-अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना: पिंक बूथ को एक ऐसा स्थान बनाना जहाँ महिलाएँ और बच्चे स्वयं को सुरक्षित और सहज महसूस करें। यह पारंपरिक पुलिस थानों की तुलना में कम डरावना और अधिक सहायक माहौल प्रदान करता है।
2. विशेष रूप से प्रशिक्षित कार्यबल: इन बूथों पर महिला पुलिस कर्मी तैनात की जाती हैं, जिन्हें महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों, मनोवैज्ञानिक समर्थन और संवेदनशील संचार में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।
3. तत्काल हस्तक्षेप और कार्रवाई: ये बूथ शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। इन्हें मिशन शक्ति के अन्य घटकों जैसे एंटी-रोमियो स्क्वाड, महिला सुरक्षा केंद्र और विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों (1090, 112, 181 आदि) से सीधे जोड़ा जाता है, ताकि तुरंत सहायता भेजी जा सके।
4. जागरूकता और रोकथाम: पिंक बूथ न केवल प्रतिक्रियात्मक हैं, बल्कि सक्रिय भूमिका भी निभाते हैं। इनके माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में महिला सुरक्षा, कानूनी अधिकारों और उपलब्ध सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है।
5. डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा: महिलाओं और बच्चों को साइबर अपराधों (जैसे- ऑनलाइन उत्पीड़न, फ़िशिंग आदि) के खतरों से बचाव के तरीकों और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना भी इनका एक उद्देश्य है।

पिंक बूथ का उद्देश्य पुलिस प्रणाली में महिलाओं के प्रति विश्वास और पहुँच बढ़ाना है। यह केवल एक शिकायत केंद्र नहीं, बल्कि एक समर्पित सहायता प्रणाली है जो महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण अपनाता है।

सारांश:

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चो को अपराधों के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें यह आत्मविश्वास देना था कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है। उन्हें डरने के बजाय, किसी भी अनहोनी की स्थिति में तुरंत 1090 या 112 पर कॉल करके मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-II

“मिशन शक्ति 5.0-शिक्षित नारी, सशक्त समाज,मिशन शक्ति का यही प्रयास”

थाना माल क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत भवन ग्राम नवीपनाह थाना माल जनपद लखनऊ में "मिशन शक्ति 5.0" अभियान, महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, कानूनी अधिकारों,सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर सिखाए आत्मरक्षा के प्रभावी तरीके।

दिनांक –04.05.2026

लखनऊ, दिनांक: 22 अक्टूबर, 2025 - पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के तहत थाना माल क्षेत्र में रविवार को एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है।

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ, के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु व्यापक जागरूकता गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। इस क्रम में, जनपद के 54 थानों पर **मिशन शक्ति केंद्र** स्थापित किए गए हैं, जहाँ महिला संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु समर्पित अधिकारियों (निरीक्षक, अतिरिक्त निरीक्षक, उपनिरीक्षक, महिला उपनिरीक्षक) की नियुक्ति की गई है।

आयोजन/आयोजन स्थल-

- ✓ म0उ0नि0 श्रीमती खुशबू यादव माल लखनऊ कमिश्नरेट।
- ✓ म0हे0का0 2581 अनुराधा सिंह थाना माल लखनऊ कमिश्नरेट।
- ✓ थाना **माल क्षेत्र**, लखनऊ के अंतर्गत पंचायत भवन ग्राम नवीपनाह थाना माल जनपद लखनऊ में मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ।

आयोजक टीम-

- महिला उ0नि0 श्रीमती खुशबू यादव थाना माल कमिश्नरेट लखनऊ।
- थाना माल के अन्य महिला कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:-

थाना **माल क्षेत्र,** लखनऊ के अंतर्गत पंचायत भवन ग्राम नवीपनाह थाना माल जनपद लखनऊ में मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके **कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों, सरकारी योजनाओं** एवं **आत्मरक्षा के तरीकों** के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में बताया गया कि यूपी पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न सेवाओं को क्रियाशील किया गया है, जिनमें महिला हेल्पलाइन, स्मार्ट सिटी कैमरे, और फील्ड पुलिस पेट्रोलिंग जैसे उपाय शामिल हैं। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्हें आत्मरक्षा और सरकारी

योजनाओं के लाभ उठाने के तरीकों पर शिक्षित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा और समानता को बढ़ावा देना

कार्यक्रम के दौरान टीम ने महिलाओं को बताया कि **उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु** कई प्रभावी सेवाएँ संचालित की जा रही हैं, जैसे:

- **1090 (महिला शक्ति हेल्पलाइन)**
- **181 (महिला हेल्पलाइन)**
- **112 (आपातकालीन सेवा)**
- **1098 (चाइल्डलाइन)**
- **1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन)**
- **UP-COP मोबाइल ऐप** का उपयोग

इसके साथ ही **स्मार्ट सिटी कैमरे**, **फील्ड पेट्रोलिंग यूनिट**, एवं **एंटी रोमियो स्क्वॉड** के कार्यों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।

महिलाओं को यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, हिंसा या साइबर अपराध की स्थिति में वे इन हेल्पलाइन सेवाओं के माध्यम से तुरंत सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

मुख्य जागरूकता बिंदु:-

1. महिलाओं को **आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता** के लिए प्रेरित किया गया।
2. **"गुड टच" और "बैड टच"** के माध्यम से संवेदनशील विषयों पर जागरूकता बढ़ाई गई।
3. **साइबर अपराधों से सुरक्षा** हेतु सावधानी और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया समझाई गई।
4. **बाल विवाह निषेध, महिला अधिकार एवं सरकारी योजनाओं** से संबंधित जानकारी दी गई।
5. उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं में जागरूकता हेतु **पम्फलेट और जानकारी पत्रक वितरित किए गए।**

उद्देश्य एवं महत्व-

मिशन शक्ति 5.0 अभियान न केवल महिलाओं को उनकी शक्ति का अहसास करा रहा है, बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज के निर्माण की नींव रख रहा है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-718

दिनांक-04.05.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-ठाकुरगंज

➢ **थाना ठाकुरगंज पुलिस टीम के द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**

01-संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 04.05.2026 को मा0न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय पुराना हाईकोर्ट मंदिर के पीछे नव निर्मित भवन प्रथम तल लखनऊ के द्वारा निर्गत किये गैर जमानती वारण्ट के अनुपालन में वाद सं0-7100255/06 अ0सं0- 258/05 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ठाकुरगंज लखनऊ से सम्बन्धित एक वारण्टी अजहर अली पुत्र गुलाम साबिर निवासी शाही मस्जिद बरौरा हुसैनबाडी थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र करीब 42 वर्ष को गिरफ्तार करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

02-कार्यवाही का विवरण-

उक्त वारण्टी मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत किये गए आदेशों की अवहेलना करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा था । वारण्टी उपरोक्त को आज दिनांक-04.05.2026 को समय 21.04 बजे घर से सामने से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03-सम्बन्धित वाद/अभियोग-

1.वाद सं0-7100255/06 अ0सं0- 258/05 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ठाकुरगंज लखनऊ

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- अजहर अली पुत्र गुलाम साबिर निवासी शाही मस्जिद बरौरा हुसैनबाडी थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र करीब 42 वर्ष

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ओमवीर सिंह चौहान थाना ठाकुरगंज **लखनऊ ।**
2. उ0नि0 अखिलेश कुमार थाना ठाकुरगंज लखनऊ ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-717

दिनांक-04.05.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-ठाकुरगंज

- **थाना ठाकुरगंज पुलिस टीम के द्वारा दो पहिया वाहन चोर/अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 02 अदद मोटरसाइकिल बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.05.2026 को वादी श्री सरोज कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 रमाकान्त मिश्रा नि0-राम नगर बालागंज थाना सआदतगंज के द्वारा पुलिस को तहरीरी सूचना दी गई कि दि0 29.04.2026 को रात्रि 09.30 बजे वादी का वाहन यू0पी0 32 ईएच 2011 जो कि किसी अज्ञात के द्वारा एलपी लान से चोरी कर लिया गया एवं वादी के मित्र वेद रत्न अवस्थी पुत्र स्व0 मृदुल मोहर अवस्थी नि0-निवाजगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ का वाहन एलपी लान से चोरी हो गया।

उक्त तहरीर के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-264/2026 धारा-303(2) बीएनएस थाना ठाकुरगंज लखनऊ बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

02-कार्यवाही का विवरण-

उक्त प्रकरण की विवेचनात्मक कार्यवाही एवं अभि0गण की तलाश सुरागरसी पतारसी के क्रम में उक्त मुकदमें में चोरी गए वाहनों को अभि0गण 01-रोबिन गौतम पुत्र संजय गौतम निवासी जिंदाना थाना माल लखनऊ हाल पता माधव पुरम कालोनी दुबग्गा पावर हाउस के सामने थाना दुबग्गा लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष व 02.अंकित गौतम पुत्र विष्णु कुमार गौतम निवासी गहदो थाना रहीमाबाद लखनऊ हाल पता सीताराम मन्दिर के पास रस्तोगी नगर थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष के कब्जे से आज दिनांक 04.05.2026 को समय 1.11 बजे रात्रि पावर हाऊस प्रेरणास्थल पास थाना ठाकुरगंज लखनऊ से गिरफ्तार करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

03-पंजीकृत/ अनावरित अभियोग-

1.मु0अ0सं0-0274/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना ठाकुरगंज लखनऊ।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

01-रोबिन गौतम पुत्र संजय गौतम निवासी जिंदाना थाना माल लखनऊ हाल पता माधव पुरम कालोनी दुबग्गा पावर हाउस के सामने थाना दुबग्गा लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष

02.अंकित गौतम पुत्र विष्णु कुमार गौतम निवासी गहदो थाना रहीमाबाद लखनऊ हाल पता सीताराम मन्दिर के पास रस्तोगी नगर थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष

05-बरामदगी का विवरण-

- स्प्लेंडर प्रो काला व हरा रंग की जिसमे नम्बर प्लेट नही लगी है,चेचिस नम्बर MBLHA10A9EHF08013 व इंजन नम्बर HA10ELEHF76388,
- स्प्लेंडर प्रो सिल्वर जिसमे नम्बर प्लेट नही लगी है जिसका चेचिस नम्बर MBLHA10ASC9C04035 व इंजन नम्बर HA10ELC9C04677 है।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. **प्रभारी निरीक्षक श्री ओमवीर सिंह चौहान थाना ठाकुरगंज लखनऊ।**
2. उ0नि0 कुलदीप कुमार तिवारी थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
3. का0 कुलदीप कुशवाहा थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
4. का0 देवेन्द्र थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
5. का0 बृजेश थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
6. का0 दीप नारायण थाना ठाकुरगंज लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-717

दिनांक-04.05.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-ठाकुरगंज

- **थाना ठाकुरगंज पुलिस टीम के द्वारा दो पहिया वाहन चोर/अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 02 अदद मोटरसाइकिल बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.05.2026 को वादी श्री सरोज कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 रमाकान्त मिश्रा नि0-राम नगर बालागंज थाना सआदतगंज के द्वारा पुलिस को तहरीरी सूचना दी गई कि दि0 29.04.2026 को रात्रि 09.30 बजे वादी का वाहन यू0पी0 32 ईएच 2011 जो कि किसी अज्ञात के द्वारा एलपी लान से चोरी कर लिया गया एवं वादी के मित्र वेद रत्न अवस्थी पुत्र स्व0 मृदुल मोहर अवस्थी नि0-निवाजगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ का वाहन एलपी लान से चोरी हो गया।

उक्त तहरीर के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-264/2026 धारा-303(2) बीएनएस थाना ठाकुरगंज लखनऊ बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

02-कार्यवाही का विवरण-

उक्त प्रकरण की विवेचनात्मक कार्यवाही एवं अभि0गण की तलाश सुरागरसी पतारसी के क्रम में उक्त मुकदमें में चोरी गए वाहनों को अभि0गण 01-रोबिन गौतम पुत्र संजय गौतम निवासी जिंदाना थाना माल लखनऊ हाल पता माधव पुरम कालोनी दुबग्गा पावर हाउस के सामने थाना दुबग्गा लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष व 02.अंकित गौतम पुत्र विष्णु कुमार गौतम निवासी गहदो थाना रहीमाबाद लखनऊ हाल पता सीताराम मन्दिर के पास रस्तोगी नगर थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष के कब्जे से आज दिनांक 04.05.2026 को समय 1.11 बजे रात्रि पावर हाऊस प्रेरणास्थल पास थाना ठाकुरगंज लखनऊ से गिरफ्तार करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

03-पंजीकृत/ अनावरित अभियोग-

1.मु0अ0सं0-0274/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना ठाकुरगंज लखनऊ।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

01-रोबिन गौतम पुत्र संजय गौतम निवासी जिंदाना थाना माल लखनऊ हाल पता माधव पुरम कालोनी दुबग्गा पावर हाउस के सामने थाना दुबग्गा लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष

02.अंकित गौतम पुत्र विष्णु कुमार गौतम निवासी गहदो थाना रहीमाबाद लखनऊ हाल पता सीताराम मन्दिर के पास रस्तोगी नगर थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष

05-बरामदगी का विवरण-

- स्प्लेंडर प्रो काला व हरा रंग की जिसमे नम्बर प्लेट नही लगी है,चेचिस नम्बर MBLHA10A9EHF08013 व इंजन नम्बर HA10ELEHF76388,
- स्प्लेंडर प्रो सिल्वर जिसमे नम्बर प्लेट नही लगी है जिसका चेचिस नम्बर MBLHA10ASC9C04035 व इंजन नम्बर HA10ELC9C04677 है।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. **प्रभारी निरीक्षक श्री ओमवीर सिंह चौहान थाना ठाकुरगंज लखनऊ।**
2. उ0नि0 कुलदीप कुमार तिवारी थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
3. का0 कुलदीप कुशवाहा थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
4. का0 देवेन्द्र थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
5. का0 बृजेश थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
6. का0 दीप नारायण थाना ठाकुरगंज लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-716

दिनांक-04.05.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-ठाकुरगंज

➢ **थाना ठाकुरगंज पुलिस टीम द्वारा नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.04.2026 को वादिनी मुकदमा के द्वारा पुलिस को तहरीरी सूचना दी गई कि विपक्षी महिला के द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को अपने कमरे पर बुलाया तथा विपक्षी दानिश को भी फोन करके बुला लिया। इसके बाद विपक्षी महिला के द्वारा पैसों का लालच देकर वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार की घटना कराई तथा विरोध करने पर गाली गलौज किया एवं जान से मारने की धमकी दी।

उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-261/2026 धारा-65(1)/61(2)क/352/351(3) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना ठाकुरगंज लखनऊ बनाम समीरा उर्फ सहरीन पत्नी मो0 जावेद नि0-बरौरा हुसैन बाड़ी फैमान के मकान में हसरत टाउन थाना ठाकुरगंज लखनऊ व दानिश पुत्र मुस्ताक अली नि0-बरौरा हुसैनबाड़ी थाना ठाकुरगंज लखनऊ के पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण की विवेचनात्मक कार्यवाही एवं अभि0गण की तलाश सुरागरसी पतारसी के क्रम में उक्त मुकदमें में नामित आरोपी को आज दिनांक 03.05.2026 को समय 20.04 बजे सिब्तेन मंजिल एरा मेडिकल कालेज रोड सरफराजगंज की गली के पास थाना ठाकुरगंज लखनऊ से गिरफ्तार करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। मुकदमा उपरोक्त में नामित महिला आरोपी को दिनांक 27.04.2026 को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है।

02-पंजीकृत अभियोग (अनावरित अभियोग)-

1.मु0अ0सं0-261/2026 धारा-65(1)/61(2)क/352 /351(3) बीएनएस व 5 (L)/6पाक्सो एक्ट थाना ठाकुरगंज लखनऊ।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.मोहम्मद दानिश पुत्र मुश्ताक अली निवासी- हाल पता-बरौरा हुसैन बाडी सोना भट्टा बालागंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ मूल पता- कुरसठ खजुरिया थाना आसीवन जनपद उन्नाव।

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. **प्रभारी निरीक्षक श्री ओमवीर सिंह चौहान थाना ठाकुरगंज लखनऊ।**
2. व0उ0नि0 आशीष सिंह थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
3. उ0नि0 रवीन्द्र कुमार चौकी प्रभारी बालागंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ
4. का0 देवेन्द्र सिंह थाना ठाकुरगंज लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-715
दिनांक-04.05.2026

जोन-उत्तरी/थाना-मलिहाबाद

➢ **थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा नाबालिग बालिका के साथ अश्लील हरकत/छेड़छाड़ करने व धमकी देने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण

थाना मलिहाबाद पर दिनांक 28.04.2026 को वादिनी द्वारा लिखित सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री उम्र करीब 06 वर्ष के साथ गांव के ही रहने वाले कल्लू पुत्र स्व0 हाफिज अली निवासी ग्राम हमिरापुर, थाना मलिहाबाद, लखनऊ द्वारा बहला-फुसलाकर बाग में ले जाकर अश्लील हरकतें की गईं तथा कपड़े उतारने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर अभियुक्त द्वारा पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त सूचना के आधार पर थाना मलिहाबाद पर मु0अ0सं0- 87/2026 धारा 75(1)/76/351(2) बीएनएस व 9(m)/10 पॉक्सो एक्ट बनाम कल्लू पुत्र स्व0 हाफिज अली निवासी ग्राम हमिरापुर थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान पीड़िता के कथन, गवाहों के बयान एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त द्वारा नाबालिग बालिका के साथ लैंगिक उत्पीड़न के आशय से छेड़छाड़, अश्लील हरकत एवं धमकी देने का अपराध कारित किया जाना प्रकाश में आया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में दिनांक 04.05.2026 को थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त कल्लू पुत्र स्व0 हाफिज अली को ग्राम हमिरापुर के रास्ते से समय करीब 12:50 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। थाना मलिहाबाद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही निरंतर जारी है।

02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर अपनी गलती की मांफी मांगते हुए जुर्म स्वीकार करते हुए बयान अंकित कराया गया।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0- 87/2026 धारा 75(1)/76/351(2) बीएनएस व 9(m)/10 पॉक्सो एक्ट थाना मलिहाबाद लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.कल्लू पुत्र स्व0 हाफिज अली निवासी ग्राम हमिरापुर थाना मलिहाबाद जिला लखनऊ उम्र करीब 48 वर्ष (व्यवसाय-मजदूरी)

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना मलिहाबाद लखनऊ

1. उ0नि0 संदीप कुमार थाना मलिहाबाद लखनऊ।
2. का0 मुकेश कुमार यादव थाना मलिहाबाद लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट-सं-719
दिनांक-04.05.2026

साइबर फ्रॉड, ब्लॉकचेन, क्रिप्टोकरेंसी एवं डार्क वेब विषय पर विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन

मुख्य बिंदु :

- पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को साइबर अपराध के नवीन स्वरूपों एवं तकनीकी जांच संबंधी पहलुओं पर किया गया प्रशिक्षित।
- साइबर स्टॉकिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट एवं अन्य साइबर अपराधों के संबंध में दी गई विस्तृत जानकारी।
- ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्रिप्टोकरेंसी एवं डार्क वेब जैसे उभरते साइबर तकनीकी विषयों पर कराया गया प्रशिक्षण।
- Cryptocurrency से संबंधित अपराधों की जांच एवं तकनीकी विश्लेषण के प्रभावी उपायों पर विशेषज्ञों द्वारा किया गया मार्गदर्शन।
- थानों पर नियुक्त साइबर हेल्प डेस्क प्रभारी, साइबर सेल एवं साइबर थाना पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कार्यक्रम का आयोजन एवं कार्यस्थल :

यह कार्यक्रम संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) **श्रीमती अपर्णा कुमार**, संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) **श्री बबलू कुमार**, तथा पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) **श्री अमित कुमावत** के प्रभावी मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यशाला का सफल संचालन सहायक पुलिस आयुक्त (महिला अपराध/ट्रेनिंग सेल) **सुश्री सौम्या पाण्डेय** के पर्यवेक्षण में दिनांक 04.05.2026 को **विश्वेश्वरैया हॉल** में **"साइबर फ्रॉड, ब्लॉकचेन, क्रिप्टोकरेंसी एवं डार्क वेब"** के विषय पर एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण का उद्देश्य :

इस प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को साइबर अपराध के बदलते स्वरूप, तकनीकी अपराधों की जांच, डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण एवं आधुनिक साइबर तकनीकों के संबंध में प्रशिक्षित करना था। प्रशिक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि पुलिस कर्मी साइबर अपराधों से संबंधित मामलों में तकनीकी दक्षता के साथ प्रभावी विवेचना कर सकें तथा आमजन को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखने हेतु बेहतर कार्रवाई सुनिश्चित कर सकें।

प्रतिभागिता एवं प्रशिक्षण व्यवस्था :

प्रशिक्षण कार्यशाला में कुल 117 पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण सत्र साइबर एक्सपर्ट श्री अनुज अग्रवाल एवं श्री दीप दिवाकर द्वारा संचालित किया गया।

कार्यशाला में थानों पर नियुक्त साइबर हेल्प डेस्क प्रभारी, वर्ष 2023 बैच के उपनिरीक्षक, साइबर सेल एवं साइबर थाना पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण सम्मिलित हुए।

विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण :

प्रशिक्षण कार्यशाला में कुल 117 पुलिस अधिकारी/कर्मियों ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण सत्र विशेषज्ञ प्रशिक्षकों श्री अनुज अग्रवाल (साइबर एक्सपर्ट) एवं श्री दीप दिवाकर (साइबर एक्सपर्ट) द्वारा संचालित किया गया।

प्रशिक्षकों द्वारा साइबर स्टॉकिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, सोशल इंजीनियरिंग एवं ऑनलाइन ठगी के विभिन्न तरीकों के संबंध में जागरूक किया गया। साथ ही ब्लॉकचेन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्रिप्टोकरेंसी एवं डार्क वेब से संबंधित महत्वपूर्ण तकनीकी पहलुओं पर जानकारी प्रदान की गई।

Cryptocurrency से संबंधित मामलों की जांच, डिजिटल ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग एवं तकनीकी साक्ष्यों के संग्रहण एवं विश्लेषण की प्रभावी तकनीकों के बारे में भी विस्तार से बताया गया।

प्रशिक्षण के प्रमुख विषय :

प्रशिक्षण के दौरान निम्न विषयों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की गई—

- प्रशिक्षण सत्र में साइबर एक्सपर्ट श्री अनुज अग्रवाल एवं श्री दीप दिवाकर द्वारा साइबर अपराध के विभिन्न आयामों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
- प्रशिक्षकों द्वारा साइबर स्टॉकिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, सोशल इंजीनियरिंग एवं ऑनलाइन ठगी के विभिन्न तरीकों के संबंध में जागरूक किया गया।
- साथ ही ब्लॉकचेन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्रिप्टोकरेंसी एवं डार्क वेब से संबंधित महत्वपूर्ण तकनीकी पहलुओं पर जानकारी प्रदान की गई।
- Cryptocurrency से संबंधित मामलों की जांच, डिजिटल ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग एवं तकनीकी साक्ष्यों के संग्रहण एवं विश्लेषण की प्रभावी तकनीकों के बारे में भी विस्तार से बताया गया।

व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं केस अध्ययन :

प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न साइबर अपराधों से संबंधित व्यवहारिक उदाहरणों एवं केस स्टडी के माध्यम से प्रतिभागियों को वास्तविक परिस्थितियों में तकनीकी जांच की प्रक्रिया समझाई गई। प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें साइबर अपराधों की प्रभावी रोकथाम एवं विवेचना हेतु प्रशिक्षित किया गया।

भविष्य की कार्ययोजना :

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार के तकनीकी एवं साइबर सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर किया जाता रहेगा, जिससे पुलिसिंग को अधिक आधुनिक, तकनीकी रूप से सक्षम एवं प्रभावी बनाया जा सके।

निष्कर्ष :

उक्त प्रशिक्षण कार्यशाला पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। इससे साइबर अपराधों की रोकथाम, त्वरित कार्रवाई, तकनीकी विवेचना एवं आमजन को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी।

- पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

"आपकी सुरक्षा, हमारी प्रतिबद्धता"

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-720
दिनांक-04.05.2026

जोन-उत्तरी/थाना- बी0के0टी

➢ **नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण

दिनांक 04.04.2026 को वादी पक्ष की तहरीर पर अभियोग मु0अ0सं0 129/2026 धारा 137(2)/87/64 बीएनएस एवं 5(ठ)/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ अवैध शारीरिक संबंध स्थापित करने के संबंध में थाना बीकेटी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

थाना बीकेटी पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में सक्रिय रूप से तलाश एवं मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त शिवम पुत्र केशन (उम्र लगभग 19 वर्ष), निवासी ग्राम मदारीपुर, थाना बीकेटी, लखनऊ को इन्दौराबाग अंडरपास के पास से समय 08.45 बजे गिरफ्तार किया गया। पीड़िता को दिनांक 08.04.2026 को बरामद कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से ₹110 बरामद हुए, गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को नियमानुसार हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर अपनी गलती की मांफी मांगते हुए जुर्म स्वीकार करते हुए बयान अंकित कराया गया ।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 129/2026 धारा 137(2)/87/64 बीएनएस एवं 5(ठ)/6 पॉक्सो एक्ट थाना बीकेटी, लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व व्यवसाय

01-शिवम पुत्र श्री केशन, निवासी ग्राम मदारीपुर, थाना बीकेटी, जनपद लखनऊ, उम्र लगभग 19 वर्ष (व्यवसाय– सटरिंग का काम)

05-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम थाना बी0के0टी0 लखनऊ

1.प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह थाना बीकेटी, लखनऊ
2.उ0नि0 अशोक कुमार यादव थाना बीकेटी, लखनऊ
3.का0 खैबर अब्बास थाना बीकेटी, लखनऊ
4.हे0का0 राजेश कुमार (सरकारी वाहन चालक) थाना बीकेटी, लखनऊ